न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या– एल आर ए/47/2016

उनवान

1. गणेश पिता रूपा माली निवासी करेडा, तहसील–करेडा जिला भीलवाडा

अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेडा जिला भीलवाडा

———रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व आदेश जिला कलक्टर, भीलवाडा के प्रकरण संख्या 263/1995 निर्णय दिनांक 27.2.1996

अभिभाषक : 1. श्री कमलेन्द्र सिंह चारण अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री ओमप्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

आदेश

दिनांक 26.10.2017

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1/तहसीलदार करेडा ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 17 (4) कृषि जोतों पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण नियम 1981 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी गणेश पिता रूपा माली निवासी करेडा को ग्राम करेडा की सिलिंग से अधिग्रहित सुदा आराजी नम्बर 8440/2734 में रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा भूमि संवत 2042 में आवंटन किया गया था। उक्त आवंटन नियत नजराना राशि जमा कराने की शर्त पर किया गया था । अप्रार्थी द्वारा नियत नजराना राशि जमा नहीं कराई गई है अतः अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त किया जावे। अधीनस्थ में

प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा विपक्षी को किया गया आवंटन निरस्त किया गया। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया इसलिए अपीलार्थी को अपीलाधीन निर्णय की यथासमय जानकारी नहीं हो सकी । पटवारी हल्का द्वारा बताये जाने पर कि वादग्रस्त भूमि बिलानाम सरकार दर्ज कर दी गई है। अपीलार्थी ने अपीलाधीन निर्णय की प्रति प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की है। इसलिए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किये जाने का निवेदन किया ।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थी को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटित सिलिंग में अधिग्रहणसुदा भूमि आराजी नम्बर 8440/2734 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा नियमानुसार नजराना राशि जमा कराने की शर्त पर आवंटित की गई। आवंटन के बाद से अपीलार्थी का वादग्रस्त आराजी पर लगातार कब्जाकाश्त चला आ रहा है। अपीलार्थी अनपढ होकर खेतीहर मजदूर होकर बी पी एल श्रेणी में आता है। अपीलार्थी को नोटिस की प्रोपर तामिल नहीं कराई गई थी। तामिल कुनिन्दा से

मिलीभगत कर अपीलार्थी/विपक्षी की फर्जी तामिल करवाकर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दी । जिस पर अपीलार्थी/विपक्षी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाकर एकपक्षीय निर्णय पारित कर दिया गया है जो खारिज किया जावे।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि नजराना रा ि ा स्वरूप अपीलार्थी को मात्र 93. 75/—रूपये जमा कराने थे जो अपीलार्थी ने जमा करा दिय थे। कोई राशि नजराना राशि के बकाया नहीं रहे हैं। मनमकसूद तरीके से नजराना राशि स्वरूप डिमाण्ड निकालकर अपीलार्थी को बिना बताये व बिना कोई नोटिस दिये बिना जानकारी दिये अपीलाधीन निर्णय पारित कर अपीलार्थी को किया गया आवंटन निरस्त कर दिया । अपीलार्थी ने नजराना राशि 93.75/—रूपये व अन्य रकम कुल रा ि ा 108.75/—रूपये दिनांक 28.7.1978 को रा ि ा को नजराना राशि जमा कराने पर ही पटवारी हल्का ने वादग्रस्त भूमि का पट्टा फीस वसूल कर ली गई है व कब्जा अपीलार्थी को सुपुर्द कर दिया गया है इस तरह की रिपोर्ट पटवारी हल्का ने 15.4.1977 बनाई है। अपीलार्थी को जरिये नामान्तरकरण संख्या 1173 दिनांक 13.1.1983 को खातेदारी हक देने की स्वीकृति भी हुई । जमाबंदी संवत 2043 से 2046 के रोटेशन मेंअपीलार्थी को खातेदार काश्तकार मानते हुए इन्द्राज भी किया गया तभी से अपीलार्थी खातेदारी भूमि पर काबिज होकर का त करता चला आ रहा है। अपीलार्थी प्रति बीघा के हिसाब से 312.52 अन्तर रा ि ा 2562.50/—रूपये भी जमा कराने को तत्पर है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर वादग्रस्त

आराजी का अपीलार्थी को खातेदार का तकार घोषित किया जावे।

6. प्रत्यर्थी की ओर से योग्य राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को उचित बताते हुए अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने का निवेदन किया । प्रत्यर्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त कारण भी अंकित नहीं किया है इसलिए अपील अपीलार्थी मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने का भी निवेदन किया । प्रत्यर्थी की ओर से योग्य राजकीय अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि चूंकि वर्तमान में भूमि काफी कीमतन हो गई है इसलिए अब अपीलार्थी के मन में लालच आने से अपीलार्थी ने वादग्रस्त आराजी को अपने नाम दर्ज कराने के लिए नजराना रा ि ा जमा कराने को तत्पर होना बताया है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

7. हमने उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुंनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भावी एवं संतोशप्रद होने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थी का अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। जिससे वह अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका है। अपीलार्थी ने नियत नजराना रा ि ा जमा करा दी थी। यदि शेश नजराना राशि हो तो

वह उसे जमा कराने को तत्पर है। अपीलार्थी का वादग्रस्त भूमि पर आवंटन के समय से ही कब्जाका त है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन किया गया । अपीलार्थी ने ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह तथ्य प्रमाणित होता हो कि अपीलार्थी ने आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर काश्त की हो । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न सूचना पत्र का अवलोकन किया जो दिनांक 6.9.1995 को तहसीलदार, माण्डल द्वारा जारी किया गया जिसमें अपीलार्थी/विपक्षी को 2563/—रूपये 15 दिवस में राजकोश में जमा कराने हेतु निर्दे ित किया गया। उक्त नोटिस की तामिल गणेश के पिता रूपा को तामिल हुआ । उक्त नोटिस की तामिल के उपरान्त भी अपीलार्थी/विपक्षी द्वारा उक्त राशि जमा नहीं कराई गई। जिस पर प्रत्यर्थी/प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आवंटन निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया । जिस पर बाद विचारण अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी/विपक्षी को किया गया आवंटन निरस्त किया । अपीलार्थी ने इस न्यायालय में भी ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे अपीलार्थी/विपक्षी द्वारा नियत नजराना राशि जमा कराने की पुश्टि होती है। मात्र भूमि की कीमतें बढने से 20 वर्ष उपरान्त अपील प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

9. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.2.1996 को यथावत रखा जाता है।

10. निर्णय आज दिनांक 26.10.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्री शोभा लाल मून्दडा,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए/214/2011

उनवान

1. ओम प्रकाश पुत्र माधु माली निवासी शाहपुरा जिला भीलवाडा

अपीलार्थी

बनाम

1. ि ाव सहायक पुत्र माधु माली निवासी शाहपुरा जिला भीलवाडा
2. रामसुख पुत्र माधु माली निवासी शाहपुरा जिला भीलवाडा
3. लक्ष्मण पुत्र माधु माली निवासी शाहपुरा जिला भीलवाडा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भााहपुरा जिला भीलवाडा
5. अधि ाशी अधिकारी, नगर पालिका, भााहपुरा जिला भीलवाडा

———रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा के प्रकरण संख्या 27/2009 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.8.2011

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए/214/2011** मे **उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डि्क्री जारी की जाती हैः–

यह अपील तारीख 31.12.2012 को अपीलाण्ट की ओर से श्री गोपाल अजमेरा वकील एवं प्रत्यर्थी गण की ओर से श्री जी सी गांग, एवं जी सी ओझा तथा राजकीय अधिवक्ता श्री ओ पी सोनी की उपस्थिति मे दिनांक 19.9.2012 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.8.2011 को यथावत रखा जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्धारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्धारा दिये जाने है।

आज दिनांक 31.12.2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह ड्रिक्री जारी की जाती है।

(शोभा लाल मून्दडा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट

1. अपील के लिये ज्ञापन
2. ाक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट

1. ाक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस